कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

—: आदेश :—

क्रमांक/जिव्याउकेरा/कोरोना सेल/2020/128 रायगढ़,दिनांक27/05/2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को संक्रामक बीमारी घोषित किया गया है। उक्त संक्रामक बीमारी के प्रभाव से भारत सहित पूरे विश्व के देशों में खतरा उत्पन्न हो गया है। कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने एवं बचाव हेतु पूरे भारत देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40—3/2020—DM-I(A) दिनांक 17.05.2020 के Annexure II तथा छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, के पत्र क्रमांक 189/स.सा.प्र.वि./2020, दिनांक 16.04.2020 के संलग्नक—1 एवं संलग्न—2 में अंकित शर्तों एवं दी गयी सहमति पत्र के कठोरता से पालन किये जाने की शर्त पर नगरीय क्षेत्र में स्थापित निम्नांकित इकाईयों को संचालन की अनुमति दी जाती है—

क्र	इकाई का नाम एवं पता
1.	मे. शक्ति फर्नीचर एंड फेब्रीकेशन, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, चक्रधरनगर, रायगढ़
2.	मे. बालाजी गृह उद्योग, बूढ़ी माई मंदिर के पास, दरोगापारा, रायगढ़
3.	मे. प्रभव इण्डस्ट्रीस, जिंदल रोड, भगवानपुर, रायगढ़
4.	मे. नारायण पेपर इण्डस्ट्रीज, जिंदल रोड, महेन्द्रा ऑटो, रायगढ़
5.	मे. उमा पेपर इण्डस्ट्रीज़, जनकर्म परिसर, महिला चिकित्सालय के पास, रायगढ़
6.	मे. मुरारी पेपर इण्उस्ट्रीज़, जिंदल रोड, भगवानपुर, रायगढ़
7.	मे. कलश इम्पैक्स, रायगढ़, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, चक्रधरनगर, रायगढ़
8.	मे. एस. के. नमकीन प्रोडक्ट, गॉधी नगर, ओडिशा रोड, तह व जिला—रायगढ़
9.	मे. राष्ट्रीय गुड़ाखू फैक्ट्री, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, चक्रधरनगर, रायगढ़
10.	मे. तायल गुड़ाखू वर्क्स, भगवानपुर, जिंदल रोड, रायगढ़
11.	मे. भारत उद्योग, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, चक्रधरनगर, रायगढ़
12.	मे. बाबा गुड़ाखू, अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, चक्रधरनगर, रायगढ़

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़, (छ.ग.)

क्रमांक/जिव्याउकेरा/कोरोना सेल/2020/1543-1549 रायगढ़,दिनांक27/05/2020

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा0) की ओर सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला कार्यालय रायगढ़ को दैनिक समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
7. सर्व संबंधित औद्योगिक इकाईयों मे0...की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़, (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

Annexure II

National Directives for COVID 19 Management

i. Wearing of face cover is compulsory in all public and work places.

ii. Spitting in public & work places shall be punishable with fine, as may be prescribed in accordance with its laws, rules or regulations by the State/ UT local authority.

iii. Social distancing shall be followed by all persons in public places and in transport.

iv. Marriage related gathering shall ensure social distancing, and the maximum number of guests allowed shall not be more than 50.

v. Funeral/ last rites related gathering shall ensure social distancing, and the maximum numbers allowed shall not be more than 20.

vi. Consumption of liquor, *paan*, *gutka*, tobacco etc. in public places is not allowed.

vii. Shops will ensure minimum six feet distance (*2 gaz ki doori*) among customers and shall not allow more than 5 persons at the shop.

Additional directives for Work Places

viii. As far as possible, the practice of work from home should be followed.

ix. Staggering of work/ business hours shall be followed in offices, work places, shops, markets and industrial & commercial establishments.

x. Provision for thermal scanning, hand wash and sanitizer will be made at all entry and exit points and common areas.

xi. Frequent sanitization of entire workplace, common facilities and all points which come into human contact e.g. door handles etc., shall be ensured, including between shifts.

xii. All persons in charge of work places shall ensure social distancing through adequate distance between workers, adequate gaps between shifts, staggering the lunch breaks of staff, etc.

***

13/5/2020

Scanned with CamScanner

सलग्नक–2

कार्यालयों, कार्यस्थलों, फैक्ट्रियों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

कार्यालयों, फैक्ट्रियों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के निम्नलिखित उपाय अपनाए जाए :

1. निम्नलिखित स्थानों को सम्मिलित करते हुए परिसर के समस्त क्षेत्रों को पूर्णरूपेण उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण (user-friendly) निस्संक्रामक (Disinfectant) उपयोग करते हुए संक्रमण रहित किया जाए :
   a. भवन का प्रवेश द्वार, कार्यालय इत्यादि
   b. कैफेटेरिया एवं कैंटीन
   c. बैठक कक्ष, सम्मेलन हाल/उपलबध खुली जगहें/वरांडा/जगह का प्रवेशद्वार/बंकर/पोर्टा केबिन/भवन इत्यादि
   d. उपकरण एवं लिफ्ट
   e. वाशरूम, प्रसाधन, सिंक, पानी के स्थान इत्यादि
   f. दीवारें तथा अन्य सतहें
2. बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए सार्वजनिक यातायात के साधनों पर निर्भर ना रहते हुए परिवहन की विशेष व्यवस्था बनाई जाए। ऐसे वाहनों की यात्री क्षमा का 30–40 % उपयोग की अनुमति दी जाये।
3. परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्यतः स्प्रे कर सैनेटाईजर किया जाये।
4. कार्यस्थल पर आनेवाले तथा जानेवाले सभी व्यक्तियों की अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग की जाये।
5. सभी कामगारों का चिकित्सा बीमा कराया जाना अनिवार्य किया जाए।
6. हैण्डवाश एवं सैनिटाईजर, जो स्पर्शमुक्त प्रणाली युक्त हो तो बेहतर, का प्रावधान समस्त आगम एवं निर्गम द्वारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर किया जाए। उपरोक्त वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाये।
7. कार्यस्थलों पर दो पालियों के मध्य 1 घंटे का समय अंतराल रखा जाए तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए भोजन अवकाश में भी समय अंतराल रखा जाये।
8. दस या अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जाए। कार्यस्थल बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में बैठने के लिए कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखी जाये।
9. लिफ्ट इत्यादि में 2 से 4 (क्षमता के अनुसार) व्यक्तियों को चढ़ने की अनुमति दी जाये।
10. ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
11. गुटका, तम्बाकू इत्यादि के उपयोग तथा थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा।
12. स्थल पर अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
13. आस पास के अस्पताल एवं क्लिनिक, जो COVID-19 के उपचार के लिए अधिकृत हो को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध कराई जाये।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

संलग्नक–1

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

राष्ट्रीय निर्देश जिला दंडाधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार अर्थदंड तथा दंडात्मक कार्यवाही के माध्यम से लागू किये जायेंगे।

सार्वजनिक स्थल

1. सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा।
2. सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
3. कोई भी संस्था/सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देगा।
4. विवाह एवं अंत्येष्टि जैसे आयोजनों के लिए व्यक्तियों के एकत्रित होने संबधी व्यवस्था जिला दंडाधिकारी द्वारा विनियमित किया जायेगा।
5. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा।
6. शराब, गुटका, तम्बाकू इत्यादि के विक्रय पर कड़ा प्रतिबंध होगा एवं थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा।

कार्यस्थल

7. समस्त कार्यस्थलों पर थर्मैल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए।
8. कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के मध्य 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजना अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए।
9. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह–रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये।
10. आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने सभी प्राइवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए।
11. समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे।
12. बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी।

विनिर्माण ईकाइयां

13. सार्वजनिक सतहों की बार–बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जाए।
14. पालियों की ओवर–लैपिंग ना हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे–पीछे रखा जाए।
15. अच्छे स्वच्छता की आदतों से भली–भांती परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जाये।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner